

7-6-24

पत्रावली आज पेश हुई।  
वादीनी वकील उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय  
में राजस्व वाद दिनांक 20.07.2021 को दर्ज करने के बाद  
दिनांक 15.12.2022 को वादीनी वकील को प्रतिवादीगण के  
सम्मन डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु  
वादीनी वकील द्वारा आज तक प्रतिवादीगण के सम्मन पेश  
नही किये। वादीनी वकील को सम्मन तामिली कई अवसर  
दिये जाने बावजूद भी वादीनी वकील ने प्रतिवादीगण के  
सम्मन पेश नही किये। लगभग एक वर्ष छः माह का समय  
व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नही  
करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05  
सीपीसी के तहत वादीनी का राजस्व वाद अदम तकमील में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर  
दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

